फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :– राजाराम पुत्र सोहनलाल —::बनाम::— अप्रार्थी :– तहसीलदार

किस्म मुकदमा :– राजस्व प्रा.पत्र नम्बर :– 174/ 2023

[illegible]रीख [illegible]क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible].23	प्रार्थी उपस्थित। राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प कावलियाकलां में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत् पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा– केकिन्दड़ा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 276 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम राजुराम पुत्र सोहनसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में राजाराम पुत्र सोहनलाल हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम राजुराम पुत्र सोहनसिंह के स्थान पर राजाराम पुत्र सोहनलाल शुद्ध किये जाने का निवेदन किया हैं। प्रशासन गांवो के संग अभियान कावलियाकलां में मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक लाम्बिया व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा– केकिन्दड़ा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 276 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम राजुराम पुत्र सोहनसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में राजाराम पुत्र सोहनलाल दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम राजुराम पुत्र सोहनसिंह के स्थान पर राजाराम पुत्र सोहनलाल शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता हैं। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक लाम्बिया व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधर पर मौजा– केकिन्दड़ा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 276 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि राजुराम पुत्र सोहनसिंह को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक " राजाराम पुत्र सोहनलाल " दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरुप भू–अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता हैं, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण [illegible]मार होकर को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्राव[illegible] [illegible]त्रावली दाखिल नम्बर से कम हो। बाद [illegible] दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो। SDO उपखण्ड अधिकारी एवं [illegible] कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैतारण (पाली)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:24:05 IST
Reason: SelfAttested